भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0-1155
उत्तर देने की तारीख 16 अगस्त, 2013

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1155 श्रीमती रजनी पाटिल :
श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन :
श्री श्यामल चक्रवर्ती :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूरसंचार आयोग ने देश के दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी देश की कंपनियों ने अपनी इच्छा जताई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) : जी, हां।

(ख) : दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं सहित सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लाइसेंसधारी और निवेशकों द्वारा सुरक्षा और लाइसेंस शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन, 49% स्वयं अपनी ओर से और 49% से आगे विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड (एफआईपीबी) के माध्यम से 100% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। इस बात का भी अनुमोदन प्रदान किया गया था कि दूरंसचार आयोग की सिफ़ारिशें औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग (डीआईपीपी) के विचारार्थ और गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय सहित उपयुक्त अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के लिए उन्हें भेजी जाएंगी।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

******